

आदेश

संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को सूचित किया जाता है कि किसी कारणवश उनका छात्रवृत्ति/शुल्क प्रति-पूर्ति फार्म संस्था में हार्ड कॉपी में जमा नहीं हो पाया था तो उपरोक्त के संबंध में सभी छात्राओं को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 23/04/2022 तक उपरोक्त हार्ड कॉपी संस्था में सभी अभिलेखों के साथ जमा कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में छात्राएं स्वयं उत्तरदायी होंगी।

o/c ^{5/9}
(संजय माथुर)
प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य
राजकीय महिला पॉलीटेक्निक
अरनियाँ बुलन्दशहर (उ०प्र०)

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलीटेक्निक अरनियाँ बुलन्दशहर

पत्रांक 655

/छात्रवृत्ति/2022

दिनांक- 22/04/2022

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता

- ✓ 1. छात्रवृत्ति अधिकारी/प्रभारी संस्थागत
- ✓ 2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
- ✓ 3. कक्षाओं में चक्रीकरण हेतु

o/c ^{5/9}
(संजय माथुर)
प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य
राजकीय महिला पॉलीटेक्निक
अरनियाँ बुलन्दशहर (उ०प्र०)